Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Print), General Impact Factor : 2.0546, Volume 03, No. 04, Oct.-Dec., 2017, pp. 380-386

xkeh.k vFk ,o lkekftd iqujpuk e Lo; lgk;rk leg dh Hkfedk dk eY;kdu

MkŒ vuqi dqekj xqIrk*

सार

निर्धनों की बहुसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इनमें दो मुख्यः वर्ग है– छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। ग्रामीण निर्धनों का आधे से कुछ भाग भूमिहीन मजदूर है, और आधे से कुछ अधिक भाग छोटे और सीमान्त किसान है। ग्रामीण भारत में निर्बल वर्गो की मुख्य आर्थिक समस्या खुली बेरोजगारी नहीं, बल्कि निम्न उत्पादिता रोजगार है।

प्रस्तावना

ग्रामीण भारत का विकास समूचे भारत के विकास का आधार है। सर्वे के ताजा आंकड़ो के अनुसार देश में गरीब लोगों का प्रतिशत 26 प्रतिशत से घटकर 21.8 प्रतिशत रह गया है। वर्तमान मे देश के 23.8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के हवाले से योजना आयोग द्वारा जारी इन आँकड़ों में निर्धनता के आँकलन में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356.30 रूपये प्रति माह से कम उपभोग करने वाले लोगों को गरीबी रेखा के नीचे माना गया है।

xkeh.k vkfFkd iqujpuk dh vko';drk

निर्धनता की वास्तविक परिदृश्य सामने प्रस्तुत होने के बाद आज आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाये। इस दिशा में देश में कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के मुख्य कार्यक्रम निम्नाकिंत हैं –

- राष्ट्रीय आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना
- ग्रामीण आर्थिक पुर्ननिर्माण में गरीबी हटाओ कार्यक्रम

Lo; lgk;rk leg ;ktuk dk n'ku ,o mnn';

राष्ट्र का सर्वागीण विकास तभी संभव है, जब समाज के सभी अल्पाय अथवा अवसरहीन वर्गों विशेषकर भूमिहीन, मजदूर, दस्तकारों महिलाओं आदि का समाज की मुख्य धारा के साथ विकास हो। इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, जो तभी सभंव है, जब उनके पास नियमित आय स्त्रोत हो। इसके लिए उन्हें स्वरोजगार, व्यापार एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए और इन गतिविधियों के लिए जरूरी पूंजी हेतु औपचारिकताएं आसानी से, समय पर और ऋण उपलब्ध कराने की प्रणाली

* प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश।

का विकास किया जाए। सरकार ने अल्पाय अथवा अवसरहीन वर्गों के विकास हेतु सदैव प्रयासरत रहते हुए इन वर्गों के उत्थान के लिए अनेकों विशेष कार्यक्रम संचालित किए। इन कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए, परन्तु विकास की बाधित गति व लक्ष्य प्राप्त न हो सके। इससे शिक्षा हेतु सरकार ने स्वयं सहायता समूह रूपी नव–प्रवर्तनकारी अभिनव माध्यम का सर्वांगीण विकास के लिए उपयोग करने का निर्णय किया। जिसमें गरीबी उन्मूलन के लिए गठित स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में अनेक ग्रामीण निर्धन, गैर संस्थागत ऋण स्त्रोतो पर निर्भर करते है। इनकी बचत शून्य अथवा नगण्य होती हैं। जबकि अल्प अन्तरालों पर इन्हें सूक्ष्म वित्त (ऋण व बचत) सहयोग की आवश्यकता रहती है। बैंकिंग व्यवस्था की पहुँच गाँव–गाँव तक है, परन्तु उनसे ऋण प्राप्त करने की लम्बी असहाय प्रक्रिया और औपचारिकताएं के कारण निर्धनों की पहुँच इस व्यवस्था तक नही है। अतः आवश्यकता है कि ऐसी प्रणाली की जो गरीबों के लिए हो तथा जो इनकी ऋण और बचत की जरूरतों को पूरा कर सके। स्वयं करने का एक अत्यन्त सफल प्रयास है। इन समूहों को बैकों से जोड़नें की पहल ने गरीबो के जीवन में नई आशा जताई है।

अपने उद्देश्य व लक्ष्यों कर पूर्ति हेतु आज केवल सरकारी तन्त्र ही नहीं, अपितु बैंक व्यावसायिक संस्थाएं स्वयं सेवी संगठन आदि भी स्वयं सहायता समूह पर निर्भर हैं। शासकीय योजनाओं कार्यान्वयन में स्वयं सहायता समूह को महत्वपूर्ण भूमिका है। समूहों का उपयोग केवल संस्थागत ऋण तक सीमित न रहकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण व विकास आदि के क्षेत्र में भी हो रहा है। स्वयं सहायता समूह आज विकास का सर्वाधिक बन सकता है इसका प्रचार–प्रसार के साथ इसकी कार्यविधि का भी व्यावहारिक ज्ञान होना, विकास कार्यों से जुड़ी संस्थाओं, कर्मिकों व कार्यकर्ताओ के लिए आवश्यक हो गया है।

स्वयं सहायता समूह एक ऐसी अवधारणा के रूप में सामने आयी है, जिसका मुख्य लक्ष्य उन गरीब ग्रामीणों की मदद करना है, जो समूह बनाना चाहते है। ताकि उनका जीवन स्तर निर्भीक सहभागिता के द्वारा बचत और ऋण जैसी विधाओं के माध्यम से बेहतर बनाया जा सके। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है, सहभागियो की एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और तत्परतायुक्त, लचीलापन, पारदर्शिता और स्वायत्ता। स्वयं सहायता समूह एक छोटी ईकाई है, जिसमें निर्धन ग्रामवासी स्वेच्छा से और सामाजिक समानता के आधार पर समूहों के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से बनाए गए नियमानुसार राशि बचत करते है और सहयोग करते है। समूह के सभी आर्थिक निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते है। स्वयं सहायता समूह 10 से 20 गरीब ग्रामीण व्यक्तियों का एक ऐसा छोटा समूह है, जिसमें लगभग एक जैसे एवं अपनत्व से भरे लोग एकल उद्यमी शामिल हो और जो स्वतः स्वेच्छा से समूह बनाने हेतु अग्रसर हुए हो या कहा जा सकता कि यह अनौपचारिक समूह का औपचारिक नाम है।

- jk"Vªh; vkthfodk fe'ku% इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण अंचल में स्वयं सहायता समूहों को बनाने एवं उन्हें प्रेरित करने एवं आर्थिक स्वावलंबन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसमें महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, विशेषकर अनुदान दिलाने एवं बैंकों की भूमिका को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।
- jk"Vªh; xkeh.k jkstxkj xkjaVh ;kstuk% बेराजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का शुंभारम्भ प्रधानमन्त्री डॉ० मनमोहन सिंह ने फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया, पहले चरण में वर्ष 2006–07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिन्दा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया, इसमें सर्वाधिक 23 जिले बिहार के सम्मिलित थे, जबकि गोआ के दो जिले सम्मिलित थे, जहॉ काम के बदले रोजगार कार्यक्रम पहले से चल रहा था। काम के बदले अनाज योजना व सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय अब इस नई योजना में कर दिया है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिवस अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारन्टी दी गई है। जिसमें प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर

सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है। राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है, जो 60 रूपये से कम नहीं होगी। योजना के तहत 33 प्रतिशत लाभ भोगी महिलाऍ होंगी, रोजगार के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति द्वारा पंजीकृत कराने के 15 दिन के भीतर रोजगार न दिए जाने पर निर्धारित दर से बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। यह योजना रोजगार के अन्य कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यह पात्र एक योजना नहीं है, बल्कि यह कानून है, जो रोजगार की गारन्टी प्रदान करता है, चूँकि नरेगा आधिनियम के तहत इस योजना में रोजगार की कानून गारन्टी प्रदान की गई है। अतः तदनुरूप आवश्यकतानुसार अधिक राशि भी इस कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जा सकती है। यह योजना रोजगार के स्वरूप को बेहतर बनाने एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

- xkeh.k vkfFkd iqufuek.k e xjhch gVkvk dk;Øe% निर्धनता हटाने के कार्यक्रम की दो मूल शर्तें हैं। प्रथम कृषि सम्बन्धों में परिवर्तन ताकि भूमि का स्वामित्व जनसंख्या के अधिकतर भाग मे बंट सके। इसके अतिरिक्त भू–धारणाधिकार। कायस्थकारी वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यवश पाँचवी योजना के गरीबी हटाओ कार्यक्रम में इस पहलू का जिक्र नहीं था। फार्म लॉबी के दबाब के आधीन आयोजकों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि भू–सम्बन्धों का पुनर्गठन राजनीतिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। यह विचार रूढ़ बन जाता है। तो छोटे किसान या सीमान्त किसान के बारे में चिन्ता अर्थहीन हो जाती है। क्योंकि लाखों छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए भूमि ही मुख्य संसाधन आधार है। अतः योजना आयोग ने उल्लेख किया हैं ''छोटी जोतों के लिए ऊँची प्रति भू–इकाई उत्पादिता प्राप्त करने के मार्ग में कोई तकनीकी अवरोध नहीं है। दुनिया में कृषि मे छोटी जोतों से अधिकतम उत्पादिकता प्राप्त करने के बहुत से उदाहरण हैं – ''जैसे जापान में चावल से और मिस्त्र मे रूई से ''

दूसरे "गरीबी हटाओ" का कोई भी कार्यक्रम किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में सफल नही हो सकता, जो स्फीति और चढ़ती हुई कीमतों में जकड़ी हो। स्फीति (Inflation) अपने स्वभाव से ही असमानताओं को बढ़ाती है, यह निर्धन वर्गों की आय को हड़प जाती है और उनकी आर्थिक दशा को और खराब करती है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए इस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि उच्च वर्गों (भू–स्वामियों, महाजनों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और पूंजीपतियों) को उपलब्ध अतिरेक को समाप्त करना चाहिए। चूँकि अधिकतर अतिरेक छिपे धन के रूप में हैं, इसलिए यह जरूरी है कि कड़े उपायों का प्रयोग किया जाएं ताकि संसाधनों का विलासपूर्ण उपयोग मे अपनिर्देशन न हो

"दशकों से भारत को गांवो की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले उस समाज के रूप में पहचाना जाता रहा है, जो रूढ़िवादी तथा जातिवादी बन्धनों और संकीर्ण मानसिकता से परिपूर्ण रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, इसी क्रम में हुई प्रगति एवं परिवर्तन किसी क्रांति से कम नही है। क्रांति इसलिए कि सदियों से गुलामी के दंश झेलने वाले दलित, दमित एवं शोषित वर्गों को लोकतान्त्रिक परिवेश में मानवीय गरिमा से भरपूर जीवन जीने के अवसर मिले है। संविधान के चौथे भाग में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि पिछड़े वर्गो महिलाओं, श्रमिकों, वृद्धों, बच्चों तथा अन्य निर्योग्यताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण, सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक नीति, कानून एवं कार्यक्रम निर्गमित एवं क्रियान्वित करेगी। संविधान का यह भाग प्रशासकों की आचार सहिंता का कार्य करता है।''

स्वतन्त्र भारत के समग्र आर्थिक–सामाजिक के लिये बनी ग्यारह पंचवर्षीय योजनाएं मूलतः ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के लक्ष्यों को समर्पित रही है। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है तथा पंचायती राज्य के रास्ते लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण में सामाजिक स्तर पर आये बदलाव

क्रांति से कम इसलिए नहीं हैं, क्योंकि इन्होनें सामाजिक संरचना मूल्यों, परम्पराओं तथा प्रवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन कर दिये हैं और इसी कारण आज का भारत विदेशी प्रतिभाओं के सम्मुख अपना लोहा मनवा सका है।[1]

xkeh.k lkekftd iqujpuk

ग्रामीण समाज प्रारम्भ से ही उपेक्षा का शिकार रहा है, जहां संसाधनों एवं अवसरों में असमान वितरण, सामाजिक कुरीतियों एवं शिक्षा का निम्न स्तर दृष्टिगत हुआ है। भारतीय ग्रामीण समाज विश्व का सर्वाधिक श्रमशक्ति सम्पन्न समाज होते हुए भी पिछड़ा हुआ है तथा सर्वग्रामीण सामाजिक पुनःनिर्माण में आज सुधार की आवश्यकता है। गाँव का ढाँचा सुविधाओं से युक्त हो, इसके लिए समाज को प्रयास करना चाहिये। सरकार द्वारा उठाये कुछ प्रमुख कदम निम्नवत हैं –

Hkkjr fuekZ.k ;kstuk

ग्रामीण क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास को त्वरित गति प्रदान करन के लिए भारत निर्माण बहुआयामी योजना शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत 2005–06 से 2008–09 के दौरान गांव के विकास कार्यों पर 174000 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 घटक सम्मिलित हैः

- सभी गांवो तक बिजली पहुँचाई जायेगी।
- सभी गांवो को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति।
- सभी गांवो को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 60 लाख मकान का निर्माण किया जाएगा।
- एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी।

ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप के बीच ऐसे सच भी है, जो प्रगति के दावों को झुठला लेते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना मे बदलाव आया है। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका घटी है और तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। यही कारण है कि सफल घरेलू कृषि का हिस्सा घटकर 18 प्रतिशत रह गया है। भूमन्डलीकरण की आँधी मे देश के परम्परागत लघु व कुटीर उद्योगो का ह्रास हुआ है। विदेशों से आयातित सस्ती वस्तुओं ने घरेलू उद्योगों की कमर तोड़ दी है। खेती की बढ़ती लागत व उत्पादन में स्थिरता से खेती घाटे का सौदा बन गई है। दूसरों का पेट भरने वाले किसानों का पेट खाली है। इसलिए अन्नदाता किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता व घरेलू उद्योगो के पतन के कारण ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ग्रामीण भारत की उपयुक्त बदहाल तस्वीर उसके बदलते चेहरे पर कालिख की भाँति है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। यूरोपीय देशों में विकास की जो लहर दिखाई पड़ती है, उसका कारण यह है कि वहाँ जनसंख्या वृ(दर लगभग नगण्य है। दूसरे देश में व्याप्त अशिक्षा, भ्रष्टाचार, नियम कानून की जटिलता, भाई–भतीजावाद विकास के लाभ समान वितरण रोकते हैं। तीसरे भारत कोई समरूप देश नहीं है। यहाँ भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक विविधताएं व्याप्त हैं। चौथे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। जिससे विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक नही पहुँच पाता है।

ग्रामीण विकास की राह में इन अवरोधों को दूर करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। सूचना का अधिकार 2005 एक ऐतिहासिक कानून है जो पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैल रही है। पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाने से स्थानीय स्तर पर नीति–निर्माण और कार्यान्वयन हो रहा है। संचार क्रान्ति से दूरी घटी है। कृषि एवं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार सहकारिता को पुनगर्ठित कर उसे संवैधानिक रूप देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ग्रामीण को त्वरित गाति से न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जा रही है।

ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाओं में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर बहुत बल दिया गया है।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण भारत का विकास समूचे भारत के विकास का आधार है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांव में बसती है तथा कृषि इनका जीविकोपार्जन का आधार है। भारत आजादी के 60 वर्ष पूरा कर चुका है तथा 10 पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो चुकी है। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 07 से शुरू हो चुकी है। अब ग्रामीण भारत आजादी के समय के भारत से बिलकुल बदल चुका है।

भारत निर्माण परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई, सड़कें, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार सम्पर्क सहित 6 घटक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 176205 करोड़ रूपये की धनराशि का निवेश करते हुए एक करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्रफल को सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाना, 1000 तक जनसंख्या वाले पहाड़ीं तथा दुर्गम क्षेत्रों में 500 प्रत्येक गाँव को पक्की सड़कों सें जोड़ना, निर्धनों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण करना। अब तक वंचित 74000 अधिवासों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मुहैया कराना, अब तक वंचित 125000 गाँवो का विद्युतीकरण करना, 2.3 करोड़ घरों का विद्युत कनेक्शन प्रदान करना तथा शेष बचे 66,822 गाँवों में टेलीफोन संयोजन उपलब्ध कराना आदि समयब(लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

xkeh.k Hkkjr e vk, ie[k ifjoru

ग्रामीण भारत में आए परिवर्तनों का निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है। जो सामाजिक पुनः निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं:

- कृषि क्षेत्र
- ग्रामीण आधारभूत संरचना
- ग्रामीण उद्योग
- ग्रामीण शिक्षा
- स्वास्थ्य सेवायें
- ग्रामीण जल आपूर्ति

- **df"k {k=%** भूमि सुधारों से जमींदारी और जागीरदारी समाप्त हुई तथा कृषकों को भूस्वामित्व के अधिकार प्राप्त हुए। भूमि की सीमाबन्दी के पश्चात् अधिक भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण और इसका भूमिहीनों में आवंटन किया गया। कृषि साख की आपूर्ति के लिए स्व. श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने साहसिक कदम उठाते हुए जुलाई 1964 में 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास तथा कृषि हेतु एक सर्वोच्च बैंकिग संस्था नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की आपूर्ति कर लघु कृषक दस्तकार भूमिहीन कृषकों स्वयं सहायता समूहों को ऋण एवं अनुदान दिये जा रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन एवं बेरोजगारी में कमी करने में सफलता प्राप्त हुई।
- **xkeh.k vkèkkjHkr ljpuk%** केन्द्र सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश वृद्धि हेतु वर्ष 1995–96 में एक ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष का गठन किया गया। सड़कें, पुल, सिंचाई, अति लघु एवं लघु हाइडिल परियोजनायें, सामुदायिक सिंचाई, कुयें, भूसंरक्षण, बाढ़ संरक्षण, वन विकास, गोदाम, ग्रामीण हाट, पशुपालन, शैक्षणिक संस्थाएँ, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें, ग्रामीण ज्ञान केन्द्र, ग्रामीण सूचना प्रौघोगिकी, साज सज्जा, पेयजल व्यवस्था आदि कार्यों में इस कोष का उपयोग किया जाना निर्धारित हुआ था।

- xkeh.k m|kx% विगत वर्षों में भारत सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। पिछड़े क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की है। जिसमें अनेक वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रेरणायें देकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। इस क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक का गठन किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी लघु एवं सीमान्त कृषक तथा दस्तकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर औद्यौगिक विकास के माध्यम से ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में परिवर्तन ला दिया है ।
- xkeh.k f'k{kk% आजादी के समय ग्रामीण भारत में अशिक्षा के कारण अन्धविश्वास तथा रूढ़िवादी परम्परायें व्याप्त थी। लेकिन शिक्षा के विस्तार के कारण ग्रामीण जनसंख्या में शिक्षा की ओर झुकाव हुआ है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक और क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने, महिलाओं में सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों तथा उपेक्षित वर्ग को उचित स्थान प्रदान करने में सहायता मिली है।
- LokLF; lsok;sa% ग्रामीण सेवाओं में विगत वर्षों में निरन्तर वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी 2001 की जनगणना के आधार पर कमी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है।
- xkeh.k ty vkiwfrZ rFkk lQkbZ% जल राज्य सूची के अन्तर्गत आता है। पेयजल आपूर्ति राज्य द्वारा की जाती है तथा केन्द्र राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 11वीं. योजना (2007–12) में सभी ग्रामीणों को पेयजल की आपूर्ति का वर्ष 1972–73 से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। आजादी के 60 वर्षों में ग्रामीण भारत की तस्वीर में आधारभूत परिवर्तन हुए है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी तीव्र यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों के विकास में नई चेतना आई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भौगोलिक दूरियाँ कम हुई है। जनसंख्या का पलायन शहरों की ओर बढ़ा है। सभी सुख सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आसानी से प्राप्त हो रही हैं, लेकिन अभी निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रसित है। इसके लिए सार्वजनिक निजी क्षेत्रों की सहयोगिता, जन सहयोग तथा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रभावी क्रियान्वयन तन्त्र की आवश्यकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकें।

ग्रामीण भारत के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991 में भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव जी तथा तत्कालीन वित्त मन्त्री तथा लम्बे समय तक भारत के प्रधानमन्त्री पद पर आसीन श्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में नवीन आर्थिक नीति घोषित करते समय यह अनुमान लगाया गया था कि 10 साल के अन्दर सभी को रोजगार मिल सकेगा, सभी को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधायें मिल जायेंगी तथा देश में जो समस्याएँ हल नहीं हुई, वे सभी समस्यायें 10 साल के अन्दर हल हो जाएँगी।

किन्तु आज लगभग 18 वर्ष के बाद भी देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ एक खास वर्ग तक ही सिमटती जा रही है, अर्थात संसाधनों का उचित वितरण नहीं हो पा रहा है, सुविधायें एक समुदाय विशेष की अर्द्धांगिनी बनकर रह गई हैं।

भारत के गाँवों को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले उस समाज के रूप मे पहचाना जाता है, जो रूढ़िवादी तथा जातिवादी बन्धनों और संकीर्ण मानसिकता से परिपूर्ण रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस क्रम में सामाजिक क्षेत्र में हुई प्रगति एवं परिवर्तन किसी क्रान्ति से कम नहीं है। क्रान्ति इसलिए कि सदियों से गुलामी के दंश झेलने वाले दलित, दमित एवं शोषित वर्गों को लोकतान्त्रिक परिवेश में मानवीय गरिमा से भरपूर जीने के अवसर मिले हैं।

स्वतन्त्र भारत के समग्र आर्थिक–सामाजिक विकास के लिए बनीं 11वीं पंचवर्षीय योजनायें मूलतः ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को समर्पित रही हैं। आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की

स्थापना हुई है तथा पंचायती राज के रास्ते लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। स्वतन्त्रता के 6 दशकों में सामाजिक स्तर पर आए बदलाव क्रान्ति से कम इसलिए नहीं हैं। कि इन्होंने सामाजिक संरचना, मूल्यों, परम्पराओं तथा प्रवृत्तियों में व्यापक परिवर्तन कर दिए हैं।

गांव में आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास स्वास्थय सेवाओं की सुलभता व शिक्षा के साथ–साथ रोजगार सृजन की ओर भी विशेष ध्यान देना अपेक्षित है। देश की आबादी जैसे–जैसे बढ़ती गयी, वैसे–वैसे क्षेत्रफल बढ़ना तो सम्भव नहीं था। अतः आबादी बढ़ने के साथ खेत सिमटते गए। जोतों का आकार छोटा होता गया तथा खेतों की जगह क्रंकीट के जंगलों ने ले ली। छोटे जोतों मे आधुनिक मशीनों का प्रयोग कठिन होता है एवं इस कारण पैदावार भी कम होती है। जाहिर है इन परिस्थितियों में ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन को मजबूर होना पड़ा। लेकिन यहाँ भी उसकी दशा और बदतर हो गयी। निश्चित रूप से सरकार ने इन परिस्थितियों पर गौर किया है और विश्व में अब तक का सबसे बड़ा रोजगार गारन्टी कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना भारत सराकर द्वारा प्रारम्भ की गई है। ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा जारी ऐसी अनेकों योजनाएँ ग्रामीण वासियों की भागीदारी व योगदान से चलायी जा रही है।

ग्रामीण अर्थ एवं सामाजिक पुर्नरचना में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, विशेषकर भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के माध्यम से बेहतर आन्तरिक निरीक्षण एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को हल करने में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, आवश्यकता है, सकारात्मक सोच एवं बेहतर प्रयास की।

l nHk xFk l ph

- Karmakar, K.G (1999), Rural Credit and Self Help Groups, Sage Publication, New Delhi.
- Nayak, Kunja-Bihari (2008), Sustainable Development: An Alternative Approach in Rabindranath Tagore's Vision, Serials Publications, New Delhi.
- Sinha, Dr. P.C (1998), Sustainable Development, Anmol Publication Pvt. Ltd, New Delhi.
- Suja, S. (2012), "Women Empowerment through Self-Help Group- an Evaluative Study", Sona Global Management Review, Volume 6 Issue 3, Pp. 68-82.
- Vetrivel, S.C. and Chandrakumaramangalam, S. (2010), "Role of Micro Finance on Women Empowerment through Self Help Groups in Tamilnadu", Advances in Management, Vol. 3(6), Pp. 24-30.

❍❍❍